UPGK010062682026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या–2780/2026

मुस्कान गुप्ता, पुत्री दयानन्द गुप्ता, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी- हसनगंज, लाल डिग्गी, थाना- राजघाट, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु0अ0सं0- 279/2026
अंतर्गत धारा-305(ए), 317(2), 318(4) भा०न्या०सं०
थाना- कैण्ट, जनपद-गोरखपुर।

आदेश

1. आवेदिका/अभियुक्ता मुस्कान गुप्ता की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2823/2026 मु0अ0सं0-279/2026 अंतर्गत धारा- 305(ए), 317(2), 318(4) भा०न्या०सं०, थाना- कैण्ट, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है जो प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की मेसर्स सान्वी ज्वेलर्स के नाम से थाना–फैण्ट जनपद गोरखपुर में क्रास रोड मॉल में भूतल पर एक दुकान स्थित है, जिसमें सोने, चाँदी, हीरे इत्यादि बहुमूल्य धातुओं का व्यापार होता है। दिनांक 12.03.2026 को दोपहर में करीब 1.00 बजे जब प्रार्थी अपने उपरोक्त दुकान के गोदाम में आभूषणों के स्टाक का निरीक्षण कर रहें थे तो आभूषणों को देखने पर पता चला कि कुछ सोने व हीरों के आभूषण जिसमें चूड़िया, अंगूठिया व कान के टप्स व झूमके के स्थान पर उसी डिजाइन के नकली आभूषण रख कर असली आभूषण चुरा लिया गया है, जो आभूषण गायब हुये है वह लगभग 45,00,000/–रु० (पैंतालीस लाख रुपये) के कीमत के है। प्रार्थी के दुकान में सात कर्मचारीगण कार्यरत है जिनके नाम क्रमशः मुस्कान गुप्ता, अमित गुप्ता, ज्योति, हरिओम प्रजापति, नाजिया खातून, नगमा खातून व शालिनी मध्देशिया है। उपरोक्त लोगों द्वारा पूछ–ताछ करने पर उनके द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की जा रहीं है। जबकि मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं में से किसी के द्वारा या कुछ एक से अधिक के, षडयन्त्र के द्वारा व कुछ बाहरी अज्ञात

व्यक्तियों के षड्यन्त्र के द्वारा प्रार्थी के दुकान से किमती आभूषण चुरा लिये गये है। प्रार्थी काफी खोजबीन किये तथा करवायें लेकिन कहीं से कुछ पता न चल पाने के कारण प्रार्थी ने इस बात की सूचना थाना–कैण्ट में दिया।

3. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका/अभियुक्ता बेगुनाह है और उसे झूठे और बेबुनियाद आरोपों के कारण इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, उसने FIR में बताए अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। FIR केवल शक के आधार पर दर्ज की गई है और उसमें आवेदिका/अभियुक्ता का नाम शामिल किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता से किसी भी तरह की कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। FIR में न तो किसी स्वतंत्र गवाह का ज़िक्र है और न ही कोई बयान दर्ज किया गया है। FIR को देखने से पता चलता है कि घटना शहर के भीड़–भाड़ वाले इलाके में हुई थी, लेकिन FIR में किसी स्वतंत्र गवाह का ज़िक्र नहीं है, जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। पुलिस कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई और आवेदिका/अभियुक्ता का नाम ज़बरदस्ती FIR में शामिल करके उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता 15.06.2026 से न्यायिक हिरासत में है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध तथा अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. वर्तमान मामले में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध वादी मुकदमा की दुकान से हीरे व सोने के जेवरात को नकली जेवरात से बदलकर असली को चोरी करने का अभिकथन है। मामले से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी का भी कोई स्वतंत्र साक्षी नामित नहीं किया गया है और न ही बरामदशुदा सामान की कोई शिनाख्त करायी गयी है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 15.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना कहा गया है। प्रस्तुत मामले सह–अभियुक्ता नगमा खातून का नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुका है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा आवेदिका/अभियुक्ता की

कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता मुस्कान गुप्ता द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदिका/अभियुक्ता निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना में सहयोग करेगी,
2. आवेदिका/अभियुक्ता वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगी।
3. आवेदिका/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदिका/अभियुक्ता विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगी।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः 10.07.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O. Code–UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:42:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court